HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINTAL.
ORIGNAL JURISDICATION
Dated Nainital the 16th December, 2006
First Bail Application No. 1078 of 2006

Order on the bail application of the accused.

CRIMINAL SIDE

Kuldeep Shukla @ Pammu,
S/o Sri Dinesh Chandra Shukla,
R/o Vilage-Bela,
Police Station –Bela,
District-Auryea.
Present address Near Mundavir Mandir,
Hanuman Mandir Wali Gali,
Police Station-Alambagh, Lucknow.
.....Applicant (In Jail)

Versus

State of Uttaranchal
..... Opposite Party

In Case crime No. 710 of 2006
U/s 147/148/149/224/225/
307/120-B.I.P.C.
P.S.-Tallital,
District- Nainital

BY THE COURT

Hon'ble Rajesh Tandon, J.

The applicant-Kuldeep Shukla, who is Jail in connection with Crime No. 710 of 2006 U/s U/s 147/148/149/224/225/307/120-B I.P.C. ,P.S.-Tallital, District-Nainital has applied for bail.

Heard Sri Ajay Singh Bisht, counsel for the applicant and A.G.A. for the State.

According to the case of the applicant, he is a driver of Qualis having registration No. U.P. 32 BK 5131 and is working on salary of Rs. 500/- per month in the Travel Agency of one Vikas Malhotra named as V2 Travel agency situated at Janpath Market Lucknow.

Applicant has submitted that on 19/22nd June, 2006 an agreement was made for vehicle for going to Nainital and he has

no concern with the crime as he is drier of the vehicle which was hired from the travel agency.

I have also perused the enquiry conducted by the Magistrate. A perusal of the report shows as under:-

> विचाराधीन बन्दी कुलदीप शुक्ला पुत्र दिनेश चन्द्र शुक्ला आजादनगर निकट मुन्डवीर मन्दिर हनुमान मन्दिर वाली गली थाना आलमबाग लखनऊ हाल पता उप कारागार हल्द्वानी ने अपने बयान में कहा है कि वह बचपन से ही अपने नाना के पास उक्त पते पर रहता है वह विकास मैहरोत्रा की बीटू एजेन्सी है मैं वाहन चालक नौकरी करता हूॅ उसे पच्चीस सौ रूप्या प्रतिमाह वेतन मिलता है, दिनांक 19 और 20 जून 2006 को दिन में उसके पास मोनू पाण्डे आया और कहा कि दिनॉक 21/6/06 को बुकिंग पर हमारे साथ नैनीताल चलना है। /6/2006 की प्रातः यू0पी0 32 बीके 5132 में मैडम तथा एक व्यक्ति पवन बैठे उनका घरेलू। मोनू ने कहा कि लखनऊ से एक लेडी डाक्टर नैनीताल जायेगी वहॉ पर चार डाक्टर मिलेंगे उनको घूमाना है। दिनांक 21/6/06 की सॉय मोनू ने बताया कि कल प्रातः नैनीताल चलना है मोनू ने मेरे मोबाईल से मैडम को फोन कर बताया । दिनांक 22 सामान उनके घर से मेरी गाड़ी में रखा, दूसरी गाडी सुजीत शुक्ला चला रहा था दोनों गाड़िया सुबह लखनऊ से साथ–2 नैनीताल को चली सॉयकाल नैनीताल पहुॅचे, धर्मशाला पर जब पहुॅचे मैडम तथा मोनू कही ंचले गये, थोडी देर में लौटकर आये और कहा कि कमरे की व्यवस्था नहीं हुई है, फिर मैं और मोनू थाने के बराबर होटल में गये तो चार सौ पचास रूपये का कमरा बुक किया गया जिसमें होटल वाले ने कमीशन के पचास रूपये मुझे दिये, थोड़ी देर बाद शुक्ला नाम का सिपाही आया तो उसे बताया गया कि होटल की व्यवस्था हो गयी है फिर गाड़ी से समान उतारकर होटल में रखा गया और मैं तथा सुजीत उर्फ बन्टी एक गाड़ी में सो गये मोनू और पवन दूसरी गाड़ी में सो गये मैडम होटल मे सोई । दिनॉक 23/6/2006 को पवन ने कहा कि

कुछ स्थान पर घूमने जाना है मै, पवन और मोनू वीरभट्टी वाली रोड पर गये और उसके बाद मोनू और पवन वीरभट्टी वाली रोड पर पैदल चलकर गये और काफी देर बाद दोनों आये फिर उसके बाद दिनॉक 23/06/2006 को ही धानाचूली बैण्ड तक गये फिर वहॉ पर पवन थोड़ी देर के लिये गया और हम धानाचूली बैण्ड पर इन्तजार करते रहे, थोड़ी देर बाद पवन के साथ वापस आ गये, वापस आने तक सॉयकाल के चार बज गये थे, जब हम होटल पर आये तो दूसरी गाड़ी होटल पर नही थी, हम फिर जेल की तरफ गये मैडम और सुजीत शुक्ला पहले से ही जेल में थे और फिर हम साथ–2 वापस आ गये, उस दिन की भॉति ही गाड़ी में सोये और मैडम होटल में ही रही, पवन ने रात खाना खाने के बाद बताया कि कल प्रात 0500 बजे वीरभट्टी वाली रोड जहॉ कल गये थे जाना है, जेल से भैय्या राजेश रिहा होंगे उन्हे लेकर चलना है, दिनांक 24/6/2006 की प्रातः दोनों गाड़ी होटल से निकली, दूसरी गाड़ी में सुजीत शुक्ला, मोनू और मैडम बैठे थे, वह गाडी पहले निकली मैं तथा पवन वीरभट्टी वाली सड़क पर गये वहॉ एक स्कूल से थोड़ा दूर एक गाड़ी खड़ी कर दी, फिर पवन ने बताया कि राजेश भैय्या को लेकर आ रहा हूँ तुम यही रूको मैं वहीं रूका रहा मुझसे कहा गाड़ी स्टार्ट रखो वह लोगर आ रहे हैं, पवन की डिग्गी की जगह बैठ गया मुझसे कहा कि चुपचाप जो कहें वह करो और उसके बाद तीन अन्य लोग भी आ गये और वह सब बीच वाली सीट पर बैठ गये।''

Nothing could be pointed out by the A.G.A. against the applicant, who being the driver was in the service of the travel agency. Further he has stated that the persons who have hired the taxi was having fire arms with them.

The applicant has also referred the order passed by Hon'ble Mr. Justice P.C. Pant on 03.11.2006, where co-accused has been released on Bail (Bail App. No. 979 of 2006).

Applicant has also submitted another order dated 18th September, 2006 by which co-accused Shyam Sunder Nainwal has been released on (Bail Application No. 671 of 2006).

Considering the aforesaid fact, at this stage, I am not expressing any opinion on the merits of the case, let the applicant be released on bail on executing personal bond and furnishing two sureties, each of the like amount to the satisfaction of the Magistrate concerned.

(Rajesh Tandon, J.)

Dated 16.12.2006
Rathour